# संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परषिद

//

# संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council-UNSC)

*संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व UNSC में*

**परिचय**
- संयुक्त राष्ट्र के **6 प्रमुख अंगों में से एक; संयुक्त राष्ट्र चार्टर** द्वारा **1945 में स्थापित**

**मुख्यालय**
- न्यूयॉर्क सिटी

**पहला सत्र**
- **17** जनवरी, **1946** को चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर, **लंदन** में

**सदस्यता**
- 15 सदस्य- **5** स्थायी सदस्य **(P5)**, **10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल** के लिये चुने गए (प्रत्येक वर्ष **5** का चुनाव किया जाता है)
- **P5- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्राँस और चीन**

**UNSC की अध्यक्षता**
- **15** सदस्यों के बीच **प्रत्येक माह बारी-बारी से**
- वर्ष **2022** के लिये **भारत की अध्यक्षता-दिसंबर**

**मतदान शक्तियाँ**
- **1** सदस्य = **1** मत/वोट
- **P5** देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है वीटो पावर है
- **UN** के ऐसे सदस्य जो **UNSC** के सदस्य नहीं हैं, **मतदान के अधिकार के बिना** इसके सत्र में भाग लेते हैं

**UNSC समितियाँ/प्रस्ताव**
- **आतंकवाद:**
  - **संकल्प 1373** (आतंकवाद रोधी समिति)
  - **संकल्प 1267** (दाएश और अल कायदा समिति)
- **अप्रसार समिति:**
  - **संकल्प 1540** (परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के विरुद्ध)

**भारत और UNSC**
  - **गैर-स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवा; 2021-22** में **8**वीं बार चुना गया; **स्थायी सीट की मांग**
- **स्थायी सीट के लिये तर्क:**
  - **43 शांति मिशन**
  - **मानवाधिकार घोषणा (UDHR)** को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी
  - भारत की **जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली** आदि।

**G4**- चार देशों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) का समूह जो **UNSC** में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं

**"मतैक्य के लिये मिलकर काम करना" आंदोलन (Uniting for Consensus-UfC Movement)**
- अनौपचारिक रूप से इसे कॉफी क्लब के रूप में जाना जाता है
- देश UNSC स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करते हैं
- समूह के प्रमुख देश-इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान
- इटली और स्पेन जर्मनी की दावेदारी का; पाकिस्तान- भारत की दावेदारी का; अर्जेंटीना-ब्राजील की दावेदारी का और ऑस्ट्रेलिया-जापान की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं

**United Nations Security Council**
Composition through 2022



**UNSC के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ**
- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम UNSC विचार-विमर्शों पर लागू नहीं होते हैं; बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है
- UNSC में पावरप्ले; P5 की अराजकतावादी वीटो शक्तियाँ
- P5 के बीच गहन ध्रुवीकरण; लगातार मतभेद प्रमुख निर्णयों को अवरुद्ध करता है
- विश्व के कई क्षेत्रों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

# खसरा

# खसरा (Measles)

## परिचय

- यह पैरामाइक्सोवायरस (paramyxovirus) परिवार के एक **विषाणु के कारण** होता है
- मानव रोग; **जानवरों के इस रोग से ग्रसित होने का कोई भी मामला ज्ञात नहीं है**
- विषाणु/वायरस **श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है**, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है
- **खसरा प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च** को मनाया जाता है

### संचरण

- **संक्रामक** रोग
- **सीधे संपर्क और हवा के माध्यम से** फैलता है

### सुभेद्य समूह

- ऐसे **कोई भी व्यक्ति जिसका टीकाकरण नहीं हुआ** है
- **5 साल से कम उम्र के बच्चों में** इसके होने की संभावना अधिक

### लक्षण

तेज बुखार/ज्वर, चकत्ते, अंधापन, इंसेफेलाइटिस, गंभीर दस्त/डायरिया, मौत का कारण भी बन सकता है

### उपचार

- **कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं**
- सहायक देखभाल के माध्यम से खसरे से जटिलताओं को कम किया जा सकता है

### टीकाकरण

खसरे के टीके को प्राय: रूबेला और/या कंठमाला (Mumps) के टीकों-**खसरा-कण्ठमाला-रूबेला** (MMR), या **खसरा-कण्ठमाला-रूबेला-वैरिकाला** (MMRV) संयोजन के रूप में प्रदान किया जाता है।

## पहल

- **वैश्विक: द मीजल्स एंड रूबेला इनिशिएटिव** (M-R Initiative)
  - **मीजल्स एंड रूबेला स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2021-2030** "खसरा और रूबेला से मुक्त विश्व" की परिकल्पना करता है
- **भारतीय:** खसरे से प्रतिरक्षण हेतु **मिशन इंद्रधनुष** के तहत टीकाकरण किया जाता है

---

## पर्सनैलिटी राईट

**प्रिलिम्स के लिये:**

परसनैलटी राईट, अनुच्छेद 21, निजिता का अधिकार

### मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी भी **बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज़ के अवैध उपयोग को रोकने के लिये एक अंतरिम आदेश पारित किया।**

- न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को **अभिनेता के परसनैलटी राईट का उल्लंघन करने से रोक दिया है।**

## परसनैलटी राईट (Personality Rights)

- व्यक्तित्व अधिकार एक व्यक्ति के **निजिता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार** को संदर्भित करता है।
- ये अधिकार मशहूर हस्तियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि कंपनियाँ अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विज्ञापनों में **उनके नाम, फोटो/छवि या यहाँ तक कि आवाज़ का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।**
- इसलिये **अपने परसनैलटी राईट की रक्षा के लिये प्रसिद्ध व्यक्तित्वों / मशहूर हस्तियों के लिये अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है।**
- अद्वितीय व्यक्तिगत विशेषताओं की एक बड़ी सूची एक सेलब्रिटी के निर्माण में योगदान करती है। इन सभी विशेषताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जैसे नाम, उपनाम, मंच का नाम, चित्र, समानता, छवि और कोई पहचान योग्य व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे कि एक विशिष्ट रेस कार।

## प्रचार अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार के बीच अंतर:

- **परसनैलटी राईट में दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं:**
  - **पहला:** प्रचार का अधिकार या बिना किसी अनुमति या बिना संविदात्मक मुआवज़े के छवि और व्यक्तित्व को व्यावसायिक रूप से शोषण से बचाने का अधिकार, यह वास्तव में ट्रेडमार्क के उपयोग के जैसा (लेकिन समान नहीं) है।
  - **दूसरा:** निजिता का अधिकार या किसी के व्यक्तित्व को बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार।
- हालाँकि सामान्य कानून न्यायालयों के तहत, प्रचार अधिकार **'पासिंग ऑफ'** के दायरे में आते हैं।
  - पासिंग ऑफ तब होता है जब कोई जानबूझकर या अनजाने में अपने सामान या सेवाओं को किसी अन्य पार्टी से संबंधित लोगों को पास किया जाता है।
  - अक्सर, इस प्रकार की गलत बयानी किसी व्यक्ति या व्यवसाय की सद्भावना को नुकसान पहुँचाती है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय प्रतिष्ठा को नुकसान होता है।

## भारत में परसनैलटी राईट:

- परसनैलटी राईट की रक्षा के लिये भारत के संविधान में **अनुच्छेद 21** है जो गोपनीयता और निजिता के अधिकार से संबंधित है।
- परसनैलटी राईट की रक्षा करने वाले अन्य वैधानिक प्रावधानों में **कॉपीराइट अधिनियम, 1957** शामिल है।
- अधिनियम के अनुसार, नैतिक अधिकार केवल लेखकों और कलाकारों को दिये जाते हैं, जिनमें अभिनेता, गायक, संगीतकार और नर्तक शामिल हैं।
  - अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि लेखकों या कलाकारों को अपने काम का श्रेय देने या लेखकत्व का दावा करने का अधिकार है और दूसरों को अपने काम को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने से रोकने का भी अधिकार है।
- **भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999** भी धारा 14 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, जो व्यक्तिगत नामों और अभ्यावेदनों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस (2011)** में अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि वास्तविकता की तुलना में इंटरनेट पर अलग नहीं होगी।
  - अदालत ने यह भी कहा था कि यह नाम उस श्रेणी में भी आता है जिसमें एक व्यक्तिगत नाम होने के अलावा इसने अपनी खुद की विशिष्ट विशिष्टता भी प्राप्त की है।

## उपभोक्ता अधिकारों के विषय में:

- यह बताया गया है कि मशहूर हस्तियों या उनके नाम को व्यावसायिक दुरुपयोग से संरक्षण प्राप्त हैं,परंतु मशहूर हस्तियों द्वारा **झूठे विज्ञापन और उत्पाद अथवा सेवाओं के समर्थन उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।**
- ऐसे मामलों के कारण, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने **वर्ष 2022 में भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता उत्पादों के समर्थन पर रोक लगाने के लिये प्रचारक पर जुर्माना संबंधी एक अधिसूचना जारी की है।**

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न 1.** 'निजता का अधिकार' भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? **(2021)**

(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 29

**उत्तर: (c)**

---

**प्रश्न 2: निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)**

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।
(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व।
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।
(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

**उत्तर: c**

## स्रोत: द हिंदू

---

# पुनर्योजी कृषि

## प्रिलिम्स के लिये:

पुनर्योजी कृषि, आईपीसीसी, एग्रोइकोसिस्टम, मृदा क्षरण।

## मेन्स के लिये:

पुनर्योजी कृषि और इसका महत्त्व।

## चर्चा में क्यों?

**"जलवायु परिवर्तन और भूमि"** पर **जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा जारी** रिपोर्ट में **पुनर्योजी कृषि** के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

- यह एक **'स्थायी भूमि प्रबंधन अभ्यास'** है जो कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के लचीलेपन के निर्माण में प्रभावी हो सकता है।

## पुनर्योजी कृषि:

- पुनर्योजी कृषि एक समग्र कृषि प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, खेतों की जुताई में कमी, पशुधन को एकीकृत करने तथा कवर फसलों का उपयोग करने जैसे तरीकों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता, जैव विविधता में सुधार तथा जल और वायु गुणवत्ता पर केंद्रित है।
- **यह निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करता है:**
  - संरक्षण कृषि के माध्यम से मृदा क्षरण को कम से कम करना,
  - पोषक तत्त्वों को फिर से बेहतर करने और कीटों के जीवन चक्र को बाधित करने के लिये फसलों में विविधता लाना
  - कवर फसलों का उपयोग करके मिट्टी के आवरण को बनाए रखना
  - पशुधन को एकीकृत करना जो मृदा में उर्वरता को बढ़ाता है और कार्बन सिंक के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

## पुनर्योजी कृषि की आवश्यकता:

- वर्तमान गहन कृषि प्रणाली ने **मृदा [क्षरण]** में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 50 वर्षों में दुनिया के भरण पोषण के लिये यह वर्तमान मृदा उर्वरता पर्याप्त नहीं हो सकती है। दुनिया भर में मृदा **की उर्वरता और जैव विविधिता कम हो रही है।**
    - **पुनर्योजी कृषि मृदा के कार्बनिक पदार्थ और जैव विविधिता को बढ़ाने वाली कार्यप्रणाली के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार** करती है। इसका **उद्देश्य जल-धारण क्षमता और कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना भी है।**
- यह **मिट्टी के एकत्रीकरण, जल रिसाव और पोषक तत्त्वों के चक्रण की सुविधा प्रदान करता है।**
- पुनर्योजी मृदा **अपरदन को भी कम करती है और विभिन्न प्रजातियों के लिये आवास तथा भोजन प्रदान करती है और यह पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ है।**

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न. 3. एकीकृत कृषि (Integrated Farming System- IFS) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? (2019)**

**प्रश्न. एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है? यह भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिये कैसे उपयोगी है? (मुख्य परीक्षा, 2022)**

## स्रोत: डाउन टू अरथ

---

# तटीय लाल रेत के टीले

## प्रिलिम्स के लिये:

एरा मैटी डिब्बालू, भूगर्भिक समय स्केल, चतुर्धातुक काल, भूगर्भिक समय स्केल।

## मेन्स के लिये:

तटीय लाल रेत के टीलों के अध्ययन का महत्त्व।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के **तटीय लाल रेत के टीलों के स्थल** की रक्षा करने का सुझाव दिया है।

## प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
    - **तटीय लाल रेत के टीलों** को **'एरा मैटी डिब्बालु'** के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाखापत्तनम के कई स्थलों में से एक है, जिसका भूगर्भीय महत्त्व है।
    - यह स्थल समुद्री तट के किनारे स्थित है और**विशाखापत्तनम शहर से लगभग 20 किमी उत्तर-पूर्व एवं भीमुनिपट्टनम से लगभग 4 किमी दक्षिण-पश्चिम में है।**
    - इस स्थल को वर्ष 2014 में [भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण] **(Geological Survey of India- GSI)** द्वारा भू-विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे वर्ष 2016 में 'संरक्षित स्थलों' की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है।
- **वितरण:**
    - इस तरह के बालू टिब्बे दुर्लभ हैं और दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल तीन स्थानों जैसे तमिलनाडु में थेरी सैंड्स, विशाखापत्तनम में एर्रा मट्टी दिब्बालू और श्रीलंका में एक साइट से रिपोर्ट किये गए हैं।
    - ये कई वैज्ञानिक कारणों से भूमध्यरेखीय या समशीतोष्ण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं।

## लाल रेत के टीलों की विशिष्टता:

- **निरंतर विकास:**
    - लाल रेत के टीले पृथ्वी के विकास की निरंतरता का एक हिस्सा हैं और उत्तर भूगर्भीय अवधि के क्वार्टनरी युग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
        - क्वार्टनरी युग (चतुर्थ कल्प) **भूगर्भिक समय पैमाने** पर एक अवधि है जो मुख्य रूप से मानवता और जलवायु परिवर्तन के विस्तार के लिये जानी जाती है। यह अवधि लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से आज तक जारी है।
- **विभिन्न भू-आकृतिक विशेषताएँ:**

- 30 मीटर तक की ऊँचाई के साथ ये विभिन्न भू-आकृतियों और विशेषताओं के साथ बैडलैंड स्थलाकृति प्रदर्शित करते हैं, जिसमें गली, बालू टिब्बे, रोधिकाएँ, समुद्री रिज़, युग्मित वेदिकाएँ, गहरी घाटियाँ, धारा प्रतिच्छेदी वेदिकाएँ, निक पॉइंट (knick point) और झरने शामिल हैं।
    - बैडलैंड स्थलाकृति एक शुष्क इलाके से संबंधित है जहाँ नरम तलछटी चट्टानें और मृदा से भरपूर और पानी से बड़े पैमाने पर लुप्त हो गई है।
- **भू-रासायनिक रूप से अपरिवर्तित:**
  - हल्के-पीले रेत के भंडार जिनके बारे में अनुमान है कि ये लगभग 3,000 वर्ष पहले निक्षेपित हो चुके है, अब यह लाल रंग प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि तलछट भू-रासायनिक रूप से अपरिवर्तित होते हैं।
  - ये तलछट अजीवाश्म (जीवाश्म युक्त नहीं) हैं और खोंडालाइट बेसमेंट पर जमा हैं।
    - **खोंडालाइट क्षेत्रीय चट्टान है जिसमें उच्च श्रेणी का कायांतरण और दानेदार चट्टान का निर्माण होता है। इसका नाम ओडिशा की खोंड जनजाति के नाम पर रखा गया था।**
  - टीलों में शीर्ष पर हल्के-पीले रेत के टीले होते हैं, जिसके तल पर पीली रेत के साथ एक लाल-भूरे रंग की कंक्रीट होती है।
  - **सबसे नीचे की पीली परत फ्लुवियल युक्त होती है, जबकि अन्य तीन इकाइयाँ मूल रूप से एओलियन हैं।**

## तलछट सुरक्षा का महत्त्व:

- इन तलछटों की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अध्ययन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है, क्योंकि एर्रा मट्टी दिब्बालू ने ग्लेशियल और गर्म अवधि का अनुभव किया है।
- यह स्थल लगभग 18,500 से 20,000 वर्ष पुराना है और इसका **संबंध अंतिम हिमयुग से हो सकता है।**
- यह एक **आकर्षक वैज्ञानिक विकास** साइट है जो दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन का तत्काल प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है।
  - लगभग 18,500 वर्ष पूर्व, बंगाल की खाड़ी वर्तमान समुद्र तट से कम से कम 5 किमी. दूर थी। तब से लगभग 3,000 वर्ष पूर्व तक इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहे थे और यह अभी भी जारी हैं।
- इस साइट का पुरातात्विक महत्त्व भी है, क्योंकि कलाकृतियों के अध्ययन से **उच्च पुरापाषाण काल का संकेत मिलता है और क्रॉस डेटिंग से लेट प्लेइस्टोसिन युग(20,000 ईसा पूर्व) के साक्ष्य मिलते हैं।**
- प्रागैतिहासिक काल के लोग इस स्थान पर रहते थे **क्योंकि इस क्षेत्र में कई स्थानों पर खुदाई से तीन विशिष्ट कालों के पत्थर के औजार और नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तनों का भी पता चला है।**

## स्रोत: द हिंदू

---

# स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट

## प्रिलिम्स के लिये:

प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions- NbS), स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, NbS, सतत् विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता,

## मेन्स के लिये:

प्रकृति-आधारित समाधान (NbS), पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया।

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम **(UN Environment Programme- UNEP)** द्वारा जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ) की **द इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डीग्रेडेशन** पहल, 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय **(United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD)** और यूरोपीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी।

## रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- **वर्तमान वित्तीय प्रवाह:**
  - NbS के लिये वर्तमान सार्वजनिक और निजी वित्तीय प्रवाह **प्रतिवर्ष 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।**
    - इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 83% है और निजी क्षेत्र का योगदान 17% है।

- **NbS वित्त प्रवाह में बदलाव:**
  - NbS के लिये कुल **वित्त प्रवाह 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष हो गया है।**
  - यह सार्वजनिक और निजी वित्तीय प्रवाह के योग में वास्तविक रूप से 2.6% के निवेश में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
- **समुद्री NbS और संरक्षित क्षेत्रों में निवेश:**
  - SFN 2022 ने समुद्री प्रकृति-आधारित समाधानों और संरक्षित क्षेत्र वित्त के **विस्तृत मूल्यांकन को शामिल करके दायरे को व्यापक बनाया।**
  - **समुद्री NbS के लिये वित्त प्रवाह मुख्यतौर पर 14 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कुल (स्थलीय और समुद्री) वित्त प्रवाह का 9% है।**
  - समुद्री NbS में वार्षिक घरेलू सरकारी व्यय प्रतिवर्ष 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, मत्स्य पालन के सतत् प्रबंधन और मत्स्य पालन के अनुसंधान एवं विकास पर खर्च शामिल है।
- **प्रकृति-नकारात्मक वित्तीय प्रवाह (Nature-negative Financial Flows):**
  - प्रकृति-नकारात्मक गतिविधियों के लिये सार्वजनिक वित्तीय सहायता वर्तमान में प्रतिवर्ष 500 से 1,100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है, जो कि NbS में वर्तमान निवेश से तीन से सात गुना अधिक है।

## सुझाव:

- **प्रकृति आधारित समाधान में निवेश:**
  - **वर्ष 2025 तक प्रकृति-आधारित समाधानों में 384 बिलियन अमेरिकी डॉलर/वर्ष के निवेश में वृद्धि के बिना,** जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकेगा।
  - NbS के लिये वित्त पोषण को दोगुना करने और **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** **(Greenhouse Gas Emissions- GHG)** को बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिये इसे कम करने की आवश्यकता है।
- **निजी निवेश:**
  - निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं को **'नेट ज़ीरो' को 'नेचर पॉजिटिव' के साथ जोड़ना होगा।**
  - इसके लिये निजी कंपनियों को एक स्थायी आपूर्ति शृंखला बनानी चाहिये, जलवायु और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को कम करना चाहिये, समग्र प्रकृति बाजारों के माध्यम से किसी भी अपरिहार्य गतिविधियों को समाप्त करना चाहिये, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान करना चाहिये और प्रकृति-सकारात्मक गतिविधियों में निवेश करना चाहिये।
- **वित्तीय प्रणालियों में समावेशन में वृद्धि:**
  - NBS निवेश को बढ़ाने के लिये, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले संक्रमण सिद्धांतों को शामिल करना चाहिये।
  - एक न्यायसंगत संक्रमण में जलवायु कार्रवाई के सामाजिक और आर्थिक अवसरों को अधिकतम करना शामिल है, जबकि किसी भी चुनौती को कम और सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना - प्रभावित सभी समूहों के बीच प्रभावी सामाजिक संवाद और मौलिक श्रम सिद्धांतों तथा अधिकारों के लिये सम्मान भी शामिल है।

## प्रकृति-आधारित समाधान (NBS):

- **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना** सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये प्रकृति के सतत् प्रबंधन और उपयोग को संदर्भित करता है, जो आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से लेकर खाद्य एवं जल सुरक्षा के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य तक सीमित है।
- NBS लोगों और प्रकृति के बीच सद्भाव बनाता है, पारिस्थितिक विकास को सक्षम बनाता है और जलवायु परिवर्तन के लिये एक समग्र, जन-केंद्रित प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इस प्रकार NBS सतत् विकास लक्ष्यों को रेखांकित करता है, क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैव विविधता और ताजे जल तक पहुँच, बेहतर आजीविका, स्वस्थ आहार और **सथायी खाद्य प्रणालियों** के माध्यम से **खाद्य सुरक्षा** (जैविक कृषि) का समर्थन करते हैं।
  - इसके अलावा NBS **जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते** के लक्ष्यों को प्राप्त करने के समग्र वैश्विक प्रयासों का एक अनिवार्य घटक है।

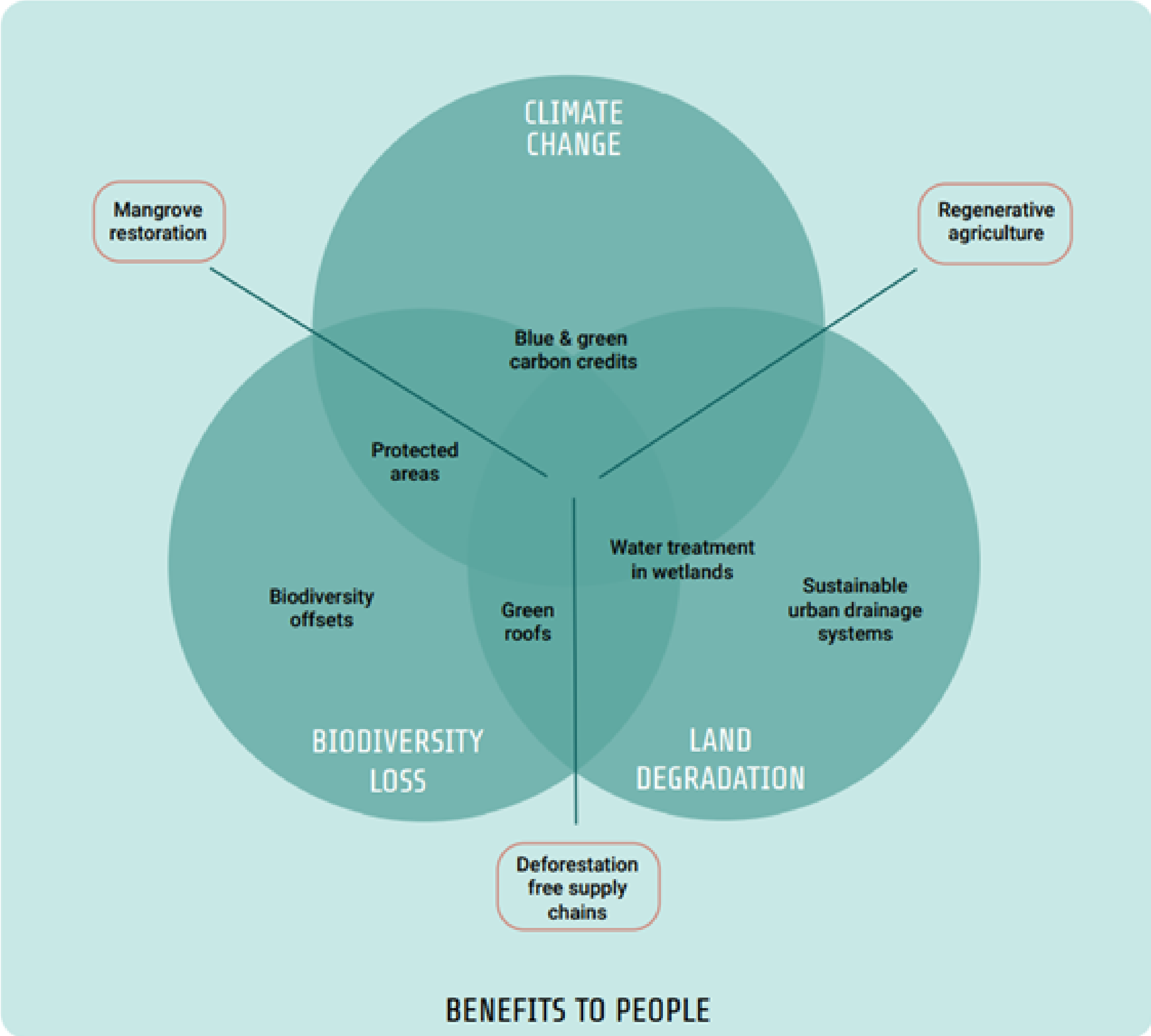


## संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP):

- 05 जून, 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- **कार्य:** इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।
- **प्रमुख रिपोर्ट्स:** उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट।
- **प्रमुख अभियान:** 'बीट पॉल्यूशन', 'UN75', विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।
- **मुख्यालय:** नैरोबी (केन्या)।

## स्रोत: डाउन टू अर्थ

---

## गैसलाइटिंग

## प्रिलिम्स के लिये:

गैसलाइटिंग और इसका उद्भव

## मेन्स के लिये:

गैसलाइटिंग और इसका प्रभाव, गैसलाइटिंग के सामान्य लक्षण, गैसलाइटिंग का महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका के सबसे पुराने शब्दकोश (डिक्शनरी) प्रकाशक **मेरियम-वेबस्टर** ने "**गैसलाइटिंग**" को **वर्ड ऑफ द ईयर** के रूप में चुना है।

- कंपनी के अनुसार, 2022 में इस शब्द के लिये वेबसाइट पर सर्चिंग में 1,740% की वृद्धि हुई है।

## गैसलाइटिंग

- **परिचय:**
  - मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी गैसलाइटिंग को "सामान्यतः समय के साथ किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक बदलाव के रूप में परिभाषित करती है, जो पीड़ित को अपने ही विचारों, वास्तविकता की धारणा या यादों की वैधता पर सवाल उठाने का कारण बनती है और सामान्य तौर पर भ्रम, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की हानि, किसी की भावनात्मक या मानसिक स्थिरता की अनिश्चितता की ओर ले जाती है।
  - **गैसलाइटिंग में दुर्व्यवहार करने वाले और जिस व्यक्ति के साथ वे गैसलाइटिंग कर रहे हैं, के बीच शक्ति का असंतुलन शामिल है।**
    - दुर्व्यवहार करने वाले अक्सर **लिंग, कामुकता, नस्ल, राष्ट्रीयता और/या वर्ग से संबंधित रूढ़िवादिता या कमज़ोरियों का फायदा उठाते हैं।**
- **शब्द का उद्भव:**
  - "गैसलाइटिंग" शब्द पैट्रिक हैमिल्टन द्वारा **वर्ष 1938 के नाटक "गैस लाइट"** के शीर्षक से आया है, यह उस नाटक पर आधारित फिल्म है, जिसके कथानक में एक व्यक्ति शामिल है जो अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वह पागल हो रही है।
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - गैसलाइटिंग का मतलब अनिश्चितता और आत्म-संदेह को बढ़ावा देना है, जो अक्सर पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है।
    - गैसलाइटिंग से पीड़ित चिंता, अवसाद, भटकाव, कम आत्मसम्मान का अनुभव कर सकता है।

## गैसलाइटिंग के कुछ सामान्य संकेत

- **"गोधूलि क्षेत्र (Twilight Zone)" प्रभाव:**
  - गैसलाइटिंग से पीड़ित अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यह उनके जीवन के बाकी हिस्सों से अलग स्थिति में हो रहा है।
  - इसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि पीड़ित ऐसी स्थिति में **अतिशयोक्ति या दिखावा** करता है।
  - किसी के साथ संवाद करने के बाद स्वयं को भ्रमित और शक्तिहीन महसूस करना।
- **आइसोलेशन (Isolation):**
  - कई गैसलाइटर्स पीड़ितों को मित्रों, परिवार और अन्य सहायता नेटवर्क से अलग करने का प्रयास करते हैं।
- **टोन पॉलिसिंग (Tone Policing):**
  - यदि कोई व्यक्ति उन्हें किसी बात पर चुनौती देता है तो एक गैसलाइटर लहज़े की आलोचना कर सकता है। यह एक युक्ति है जिसका उपयोग स्क्रिप्ट को बदलने के लिये किया जाता है और उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि गाली देने वाले के बजाय वे ही दोषी हैं।
- **आक्रामक-शांत व्यवहार का एक चक्र:**
  - पीड़ित को असंतुलित करने के लिये एक ही संवाद के दौरान गैसलाइटर वैकल्पिक रूप से मौखिक दुर्व्यवहार और प्रशंसा दोनों कर सकता है।

## वर्तमान में गैसलाइटिंग का महत्त्व:

- **गलत सूचना का गैसलाइटिंग:**
  - " फेक न्यूज़," साजिश के सिद्धांतों, ट्विटर ट्रोल और डीपफेक की गलत सूचना के इस युग में, गैसलाइटिंग आधुनिक समय के लिये एक शब्द के रूप में उभरा है।
- **गैसलाइटिंग और लिंग:**
  - **चिकित्सा में गैसलाइटिंग:**
    - कुछ महिलाओं को उनके डॉक्टरों द्वारा गैसलाइट किया जाता है, जो इस रूढ़िवादिता का उपयोग कर सकते हैं कि महिलाएँ तर्कहीन हैं और एक महिला रोगी को बताते हैं कि वास्तव में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है।
  - **सार्वजनिक या सामूहिक गैसलाइटिंग:**
    - कई महिलाएँ सार्वजनिक गैसलाइटिंग के प्रभावों का अनुभव करती हैं, जिसे सामूहिक गैसलाइटिंग भी कहा जाता है, जब किसी सार्वजनिक हस्ती या एक सामान्य व्यक्ति के बयान जो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाता है, सामूहिक रूप से महिलाओं को स्वयं दूसरे अनुमान लगाने के लिये प्रेरित कर सकता है।
  - **ट्रांसजेंडर लोगों की गैसलाइटिंग:**
    - एक गैसलाइटर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर सकता है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विकार है।

- **कानूनी प्रणाली में गैसलाइटिंग:**
  - कानूनी प्रणाली गैसलाइटिंग का एक महत्त्वपूर्ण स्थल बन जाती है जब दुर्व्यवहार करने वाले महिलाओं के बारे में तर्कहीन और आक्रामक रूप में रूढ़िवादिता पर चित्रण और 'फ्लिप' कहानियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं।

- **गैसलाइटिंग और नस्ल:**
  - वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया **जो विरोध करने वालों को पथभ्रष्ट करके श्वेतों की वर्चस्ववादी वास्तविकता को सामान्य रूप से बनाए रखती है,** गैसलाइटिंग और नस्ल का प्रमुख उदाहरण है।
- **कार्यक्षेत्र में गैसलाइटिंग:**
  - कोई व्यक्ति गैसलाइटिंग का शिकार हो सकता है **यदि ऊँचे पद पर आसीन किसी व्यक्ति की वजह से अन्य को अपनी क्षमता पर संदेह हो रहा है** जो उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुँचाता है।
- **राजनीति में गैसलाइटिंग:**
  - आजकल, किसी राजनेता या राजनीतिक संगठन के लिये सार्वजनिक बातचीत को विषय से भटकाने और **किसी विशेष दृष्टिकोण के पक्ष में या उसके खिलाफ राय में हेरफेर करने की रणनीति के रूप में गैसलाइटिंग** का उपयोग करना सामान्य बात है।

## [स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

---

## वासेनार अरेंजमेंट

### प्रिलिम्स के लिये:

वासेनार अरेंजमेंट, NSG, नाटो, नो मनी फॉर टेरर, आतंकवाद।

### मेन्स के लिये:

भारत द्वारा वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता संभालने का महत्त्व।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में विएना, आयरलैंड में **वासेनार अरेंजमेंट** की **26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक** में **भारत को अध्यक्षता सौंपी गई** और **भारत आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2023 से इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा।**

## वासेनार अरेंजमेंट:

- **परिचय:**
  - वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। जुलाई, 1996 में औपचारिक रूप से स्थापित इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।
    - दोहरे उपयोग से तात्पर्य एक वस्तु या प्रौद्योगिकी की क्षमता से है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिये किया जाता है - आमतौर पर शांतिपूर्ण और सैन्य।
  - वासेनार अरेंजमेंट का सचिवालय विएना, ऑस्ट्रिया में है।
- **सदस्य**:
  - इसमें 42 सदस्य राज्य हैं जिनमें अधिकतर [उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)] और यूरोपीय संघ के राज्य शामिल हैं।
    - भाग लेने वाले राज्यों को प्रत्येक छह माह पर व्यवस्था के बाहर के गंतव्यों के लिये अपने हथियारों के हस्तांतरण और कुछ दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण/अस्वीकृति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
  - भारत वर्ष 2017 में इस व्यवस्था का सदस्य बना था।
- **उद्देश्य**:
  - समूह पारंपरिक और परमाणु-सक्षम दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचनाओं का नियमित रूप से आदान-प्रदान करता है, जिसे समूह के बाहर के देशों को हस्तांतरण या अस्वीकार किया जाता है।
  - यह **उन रसायनों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों की विस्तृत सूचियों के रखरखाव और अद्यतनीकरण** के माध्यम से किया जाता है जिन्हें सैन्य रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
  - इसका उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करने वाले देशों या संस्थाओं के लिये प्रौद्योगिकी, सामग्री या घटकों की आवाजाही को नियंत्रित करना है।**
- **वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी:** इसके निर्णय संबंधी अधिकार होते हैं।
  - **इसमें प्रतिभागी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं** और आम तौर पर वर्ष में एक बार, दिसंबर में इनकी बैठक होती है।

- भाग लेने वाले राज्य **बारी-बारी से प्लेनरी चेयर का पद धारण करते हैं।**
- वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में प्लेनरी पद क्रमशः यूनाइटेड किंगडम और ग्रीस के पास था।
- सभी प्लेनरी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।

## भारत के लिये अध्यक्षता का महत्त्व:

- **आतंकवाद विरोधी प्रयासों को बढ़ावा:**
  - वासेनार अरेंजमेंट अध्यक्ष के रूप में भारत की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आतंकवाद के खिलाफ देश की स्थिति में हाल ही में सुधार हुआ है।**
  - भारत आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिये **वैश्विक हितधारकों को भी सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है।**
    - भारतीय गृह मंत्री वर्तमान में नो मनी फॉर टेररिज़्म **(NMFT)** मंत्रिस्तरीय पहल के अध्यक्ष हैं।
- **आतंकवादियों को हथियारों के इस्तेमाल से रोकना:**
  - प्लेनेरी के अध्यक्ष के रूप में, भारत आतंकवादियों या आतंकवाद का समर्थन करने वाले संप्रभु राष्ट्रों को **हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये निर्यात नियंत्रण को और अधिक मज़बूत करने हेतु समूह की चर्चाओं को संचालित करने की स्थिति में होगा।**
- **मज़बूत प्रसार-विरोधी ढाँचा:**
  - भारत के पश्चिमी पड़ोसी देशों में बिगड़ते आर्थिक संकट के साथ-साथ **देश के समुदायों में ऐतिहासिक रूप से उदारवादी संप्रदायों के कट्टरपंथीकरण** के कारण भारत के सामने कई तरह की चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।
  - वासेनार अरेंजमेंट के तहत लाइसेंसिंग और प्रवर्तन संबंधी प्रक्रियों को मज़बूत करने तथा **विमान प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल जाँच संबंधी उपकरण जैसे क्षेत्रों में नए निर्यात नियंत्रणों को अपनाने से दक्षिण एशिया के लिये एक मज़बूत प्रसार-विरोधी ढाँचे** के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण:**
  - भारत उन **तकनीकों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं तक पहुँच के लोकतंत्रीकरण** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो भारत में नए उभरते रक्षा एवं अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
  - भारत धीरे-धीरे डब्ल्यूए की नियंत्रण सूची में **कम लागत वाली विविध वस्तुओं के उत्पादक** के रूप में उभर रहा है।

## अन्य निर्यात नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाएँ

- परमाणु संबंधित प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के लिये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)।
- रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी, जिससे हथियार बनाया जा सकता है, के नियंत्रण के लिये ऑस्ट्रेलिया समूह (AG)।
- बड़े पैमाने पर विनाशक हथियारों को वितरित करने में सक्षम रॉकेट और अन्य हवाई वाहनों के के लिये मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)।

## आगे की राह:

- इनकी सदस्यता न केवल अधिक प्रौद्योगिकी और उन तक भौतिक रूप से पहुँच की अनुमति प्रदान करती है बल्कि **विश्व व्यवस्था के एक ज़िम्मेदार सदस्य के रूप में एक राष्ट्र की विश्वसनीयता** को बढ़ाती है।
- भारत विश्व में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये तैयार है और एक उभरती हुई शक्ति होने के प्रयास का समर्थन करना चाहिये।

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'ऑस्ट्रेलिया समूह' तथा 'वासेनार व्यवस्था' के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)**

1. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं।
2. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: (d)**

स्रोत: हिंदुस्तानी टाइम्स

---

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/03-12-2022/print